

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी- गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या- 08 / 2023

- रणभीरसिंह पुत्र जीवणराम जाति जाट साकिन पचारवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

-निगरानीकर्ता / प्रार्थी

बनाम

- सरपंच ग्राम पंचायत डोबी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़।

-अप्रार्थी



उपस्थित:- श्री मदन मोहन जोशी अधिकवक्ता प्रार्थी।

श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक:- 27.3.2024

प्रार्थी रणभीरसिंह पुत्र जीवणराम जाति जाट साकिन पचारवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा विरुद्ध आदेश दिनांक 08.09.2023 प्र.सं. 156/2023 बअनवानी ग्राम पंचायत डोबी बनाम रणभीरसिंह बअदालत ग्राम पंचायत डोबी तहसील भादरा अपास्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

- निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 08.09.2023 प्र.सं. 156/2023 बअनवानी ग्राम पंचायत डोबी बनाम रणभीरसिंह बअदालत ग्राम पंचायत डोबी तहसील भादरा एक पक्षीय बिना किसी सुनवाई के विधि की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।
- मातहत अदालत द्वारा निगरानीकर्ता के घर के आगे उत्तर दिशा में 25 गुणा 9 फीट व 3 इंच व पश्चिम दिशा में 17 फीट 7 इंच गुणा 7 फीट इन्टो से चौकी बनाकर अतिक्रमण मानकर, हटवाने के आदेश जारी किये गये है जबकि पूर्व में इन्टो से चौकी के सम्बन्ध में ग्राम पूर्व ग्राम पंचायत भांगवा, अब पंचायत डोबी ने आदेश दिनांक 10.03.1978 को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। बाद सुनवाई निगरानी कर्ता के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपील निगरानीकर्ता द्वारा पंचायत समिति भादरा में की गई दिनांक 17.03.1978 को पंचायत समिति

भादरा द्वारा निर्णय ग्राम पंचायत भांगवा तहसील भादरा दिनांक 16.11.1977 को निरस्त कर दिया गया तथा निगरानी कर्ता की अपील स्वीकार की गई तथा दिनांक 17.03.1978 को ग्राम पंचायत भांगवा ने निगरानी कर्ता की चबूतरा को कायम रखने व बनाने की इजाजत दे दी। उक्त निर्णय अन्तिम है। इसलिए मातहत अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से Estoppled है। इसलिए निगरानीधीन आदेश अपास्तनीय है। निगरानी कर्ता भूतपूर्व सैनिक है तथा निगरानीकर्ता का रिहायशी मकान उसके पूर्वजो के समय का, गांव आबाद होने के समय गांव पचारवाली थी। पुरानी आबादी लाल लकीर के अन्दर स्थित है तथा उक्त चबूतरा अपने घर की बाखल में उठने बैठने के लिए व बड़े बुढ़ो एवं मेहमानो आदि के लिए बैठक हेतु बनाया हुआ है। जो कि निगरानी कर्ता की रिहायशी मकान की जगह में ही बनाया गया है तथा उक्त चबूतरा आम जगह पर नहीं है मातहत अदालत ने निष्पक्ष तौर से कमेटी गठित नही की ना ही मौका देखा गया तथा मौका देखे जाने से पूर्व निगरानी कर्ता को कोई नोटिस आदि नही दिया गया तथा राजनैतिक वैमनस्य के कारण मातहत अदालत ने एक पक्षीय तौर से समस्त कार्यवाही की है जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने बिना नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में निगरानी आदेश पारित किया है ग्राम पंचायत का मतलब पूरा कौरम होगा ना की केवल सरपंच मातहत अदालत ने कोई मौका देखे बिना ही अतिक्रमण कतई गलत तौर से माना है 45 वर्ष पूर्व उक्त वाद भूमि चबूतरा हेतु पंचायत समिति भादरा के द्वारा निर्णय हो चुका है उच्च अदालत की निर्णय की अवहेलना में निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

4. दिनांक 17.03.1978 को ग्राम पंचायत द्वारा चबूतराबनाने का आदेश दिया गया है 45 वर्ष बाद पुनः उसी आदेश की अवज्ञा में गैर कानूनी ढंग से निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

5. निगरानी कर्ता द्वारा अपने मकान की चार दीवारी के भीतर बने चबूतरा पर जो अतिक्रमण की परिभाषा में नही आता है तथा आबादी की लाल धलिकीर अर्थात पुराना आबादी में है मातहत अदालत ने आम चौक का पट्टा व पंच निरीक्षण की रिपोर्ट के सम्बंध में कोई खुलासा नही किया तथा एक पक्षीय तौर से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है। पूर्व में चबूतरा बाबत करीब 45 साल पहले जब गांव पचारवाली ग्राम पंचायत भांगवा में आता था। उस समय निर्णय हो चुका है एवं पुनः उसी विषय को लेकर ग्राम पंचायत पुनः निर्णय पारित नहीं कर सकती। पूर्व में ग्राम पंचायत भांगवा व पंचायत समिति भादरा द्वारा चबूतरा का निर्णय सही तौर से किया




अतिरिक्त जिला दफतरी
बोहर (हनुमानगढ़)

गया माना है तथा 45 वर्ष बाद पुनः मातहत अदालत का आदेश गैर कानूनी है जो अपास्तनीय है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 08.09.2023 प्र.सं. 156/2023 बअनवानी ग्राम पंचायत डोबी बनाम रणभीरसिंह बअदालत ग्राम पंचायत डोबी तहसील भादरा अपास्त फरमाया जावे तथा निगरानी कर्ता के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री रविन्द्र गोदरा एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रकरण के संबध में तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भादर के पत्र क्रमांक राजस्व/24/409 दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रणभीरसिंह पुत्र जीवणराम जाति जाट साकिन पचारवाली के घर के आगे चौकी ग्राम पचारवाली की गैर मुमकीन आबादी क्षेत्र में आता है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन मोहन जोशी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निगरानी स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी श्री रविन्द्र गोदारा ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पचारवाली की गैर मुमकीन आबादी क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हुआ है। सार्वजनिक हित में अतिक्रमण को हटाया जाना उचित है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत डोभी पंचायत समिति भादरा के आदेश क्रमांक 156 दिनांक 08.09.2023 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा आम चौक का निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने पर अतिक्रमण की गई जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत सूचना दी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि कार्यालय ग्राम पंचायत डोभी पंचायत समिति भादरा के आदेश क्रमांक 117 दिनांक 21.08.2023 द्वारा ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 21.08.2023 के प्रस्ताव संख्या 01 की पालना में निर्माण हेतु स्वीकृत कार्य ग्राम पचारवाली के आम चौक में अतिक्रमण संबधित मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को मौका निरीक्षण किया गया एवं अपनी रिपोर्ट में श्री रणभीरसिंह पुत्र जीवणराम भारी द्वारा घर के आगे उतर दिशा में चौकी 25 फुट X 9 फुट 3 इंच और घर के पश्चिम दिशा में 17 फुट 8 इंच X 7 फुट ईटो की चौकी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक प.स. भा./प. शा./2022-23/ 3904 दिनांक 14.09.2023 द्वारा कमेटी गठन किया जाकर मौका



निरीक्षण करवाया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 15.09.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार— 1. ग्राम पचारवाली के आम चौक व गली में रणभीर सिंह पुत्र जीवणराम व सरबती पत्नी रामचन्द्र द्वारा चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों श्री पालाराम/अमीलाल मैडा, श्री संजय/गंगाराम, श्री वेदप्रकाश/मनीराम वर्मा, श्री रतनसिंह/श्री शिवचंद के द्वारा चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

2. उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस पूर्व में दिये गए हैं। जिसके तहत श्री पालाराम/अमीलाल मैडा, श्री संजय/गंगाराम, श्री वेदप्रकाश/मनीराम वर्मा, श्री रतनसिंह/श्री शिवचंद ने अतिक्रमण हटाने की सहमति दे दी एवं स्वयं ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जबकि श्री रणभीर/जीवणराम व श्रीमती सरबती/रामचन्द्र कुलड़िया द्वारा अतिक्रमण हटाने से मना कर दिया, इनको ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दो नोटिस जारी किये जा चुके हैं। श्री रणभीर/जीवणराम के द्वारा अपने घर के पश्चिम दिशा की गली में चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिससे आवागमन बाधित है। इन अतिक्रमियों ने साक्ष्य हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है तथा मौखिक रूप से बताया कि हमारे पास कोई पट्टा आदि दस्तावेज नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत डोबी द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रार्थी रणभीरसिंह पुत्र जीवणराम द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जनहित में अतिक्रमण हटवाने का आदेश विधि सम्मत एवं उचित है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया



(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)